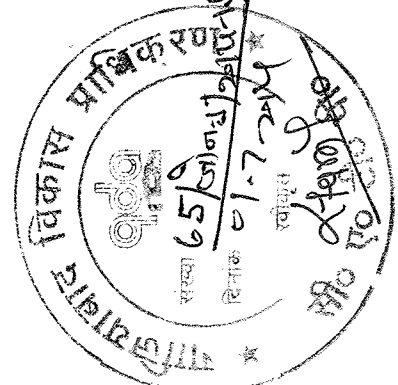




स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मालविक की स्वीकृति स्वतः, निरस्त समझी जायेगी।

संस्कृत-विभाग

मानचित्र स्वीकृत पत्र पर अंकित शर्तों
अधीन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

अनुसार सुप्रसिद्ध विद्वान्

बहु धानचित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक देखा

अंतर के भवन / स्तंभों की सुरक्षा हेतु
न रतारों पर समस्त दीवारों के अपर
मीमी 0.50 टाइ बीएम डालना उचित / आवश्यक
1 डीमीमी 0.50 स्टील सिस्टम व प्रत्येक छत
में डाले जायें।

पयावरण की दृष्टि से राज्य वन निधि
अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम
कुल ३३० पेड़ लगाना अनिवार्य है।

स्थल पर एक बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र की प्रतियाँ व टिप्पण लिखना अनिवार्य होगा।

1



LOWER BASEMENT / 2nd.
BASEMENT PARKING
PLAN

PROJECT :-

PROPOSED GROUP HOUSING ON
PLOT NO.-GH-02, NH-24,
VILLAGE- SHAHPUR, BAMHETA,
DIST.- GHAZIABAD (U.P.)

BUILDERS & PROMOTER :-
SMV AGENCIES PVT.

DRAWING TITLE :-

LOWER BASEMENT / 2nd BASEMENT PARKING PLAN

ARCHITECTS :
GAIBRAV SINGLA

H/ 169, SEC-63, NOIDA (U.P.)
PH : 0120-47777700, Mob: 9560098445, 9971998445
architects & planners e-mail: gsingla32@gmail.com,

DRAWN BY :-	CHECKED BY :-	SCALE	DATED :-
-------------	---------------	-------	----------

GAURAV
S/O: SMV AGENCIES PVT LTD

V.D.SHARMA
M.E.(STRUCTURES)
OPTIMUM PVT. LTD.
DESIGN
2C-332, VASUNDHARA, GHAZIABAD

ARCHITECT'S SIGN.